कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी,उत्तर प्रदेश।

17,न्यू बेरी रोड डालीबाग,लखनऊ।

गन्ना किसान भाईयो हेतु टोल फ्री नम्बर–1800–121–3203

पत्रांक के।1567।सी/विकास अनुभाग/लखनऊ दिनांक. 22, मार्च,2019

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।

विषय–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना के सापेक्ष High Quality Sugar Cane Foundation Seed and Primary seed Production and distribution Programme हेतु रु.1030.74 लाख का व्यय के सम्बन्ध में।

कृपया पत्र के साथ संलग्न विशेष सचिव, गन्ना विकास विभाग एवं चीनी उद्योग,उ.प्र. शासन के शासनादेश सं.–15/2019/332/46–1–19–1000(56)/2014 दिनांक 19, मार्च, 2019 का अवलोकन करें, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना के सापेक्ष High Quality Sugar Cane Foundation Seed and Primary seed Production and distribution Programme के अन्तर्गत आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम मद में सामान्य हेतु रु.1,07,59,750, अनुसूचित जाति हेतु रु.9,63,150 व अनुसूचित जनजाति हेतु रु.21,250 तथा प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम मद में सामान्य हेतु रु.8,03,03,080, अनुसूचित जाति हेतु रु.1,09,19,520 व अनुसूचित जनजाति हेतु रु.1,07,250 कुल रु.10,30,74,000 व्यय/उपयोग की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में है। अवमुक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन, व्यय/उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में वर्णित प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के शासनादेश सं.–662/12–3–2018–100(43)/2017, दिनांक 28 जून, 2018 में दिये गये शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाए/उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाय।

2. गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं.–2077सी.डी./46–3–13–1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश 2331सी.डी./46–3–13–1000)74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या–33/2018/1763/46-1-2018-1000(74)/2012 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाईड लाईन्स) के आधार

पर किसान पारदर्शी सेवा योजना अन्तर्गत गन्ना विभाग के पोर्टल पर लाभार्थी कृषकों का चयन करते हुए डी.बी.टी. की व्यवस्था के अनुसार क्रियान्वित की जायेगी।

3. गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमो को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2018–19 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाये तथा सम्पन्न कार्यक्रमो की समुचित पुष्टि कराते हुये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियो को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओ में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त का होगा।

4. प्रस्तर–2 में वर्ष 2018–19 के लिये अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष मे ही सुनिश्चित किया जाये तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे कदापि आहरित न किया जाय तथा तत्काल समर्पण की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराये, ताकि समर्पण की सूचना शासन/कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जा सकें।

5. भारत सरकार के पत्र सं.–1–11011/58/2013–डी.बी.टी. दिनांक 25.02.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्गित लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय। उक्त के अतिरिक्त वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं. 8/2017–बी.–1–1190/दस–2017–231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित व्यवस्था का अनुपालन शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय।

6. गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संलग्न कार्यक्रमो के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागो के द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशो/नियमों एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि को आहरण कर बैंक खाते में न रखा जाय, अनुदान धनराशि को सीधे कोषागार से डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किया जाय।

7. उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध कराते हुए योजना का Impact assessment कराया जाय और उसका समूचित फीडबैक दिया जाय। योजना का कार्य पूर्ण हो जाने पर कार्यो का पूर्णतः पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। इसके साथ ही लाभार्थीयों की सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थीयों की सूची एवं उन्हे दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

8. उपरोक्त योजनान्तर्गत यदि किसी भी स्तर पर आवंटित धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में रखा गया, संज्ञानित होने पर सम्बन्धित अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारण कर विभागीय कार्यवाही प्रतिस्थापित कर दी जायेगी।

जनपद शामली, हापुड़, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा अयोध्या द्वारा आहरण कर सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार/शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप अवमुक्त धनराशि का व्यय सुनिश्चित करते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनुबन्ध–III पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्न–यथोपरि।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी उद्योग,उ.प्र.

के/1567/C
22/03/2019

पत्रांक तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उ.प्र. शासन।
2. समस्त सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र.।
3. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
4. नोडल अधिकारी,रा.कृ.वि.यो., कृषि भवन लखनऊ।
5. मुख्य गन्ना विकास सलाहकार सहकारी चीनी मिल संघ/राज्य चीनी निगम, लखनऊ।

22/3/19

(के.के.सिंह)
वित्त नियंत्रक,
कार्यालय गन्ना एवं चीनी
उद्योग,उ.प्र.